

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 139 OF 2019

IN THE MATTER OF

Mahagunpuram Apartment Owners Association ...Applicant(s)

Versus

Ghaziabad Development Authority and Ors. ...Respondent(s)

**ADDITIONAL COMPLIANCE REPORT ON BEHALF OF
GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY IN PURSUANCE TO
THE ORDER DATED 15.07.2022 PASSED BY HON'BLE NATIONAL
GREEN TRIBUNAL**

PRESENT STATUS QUO

That currently the total green area available is 5285.77 sq. m. (current available green area of Pockets A, B, C, D) which is 13.64% of the area wherein the society has been developed.

LEFT OVER WORK

Upon shifting of DG set from Pocket B to other place the total tentative area would be 5485.77 sq. m. which would be 14.25% of the total area.

1. This Additional Compliance Report is being filed by the Ghaziabad Development Authority in pursuance to the order dated 15.07.2022 passed by Hon'ble National Green Tribunal w.r.t. compliance of specific condition of environment clearance issued to M/s Mahagunpuram, Village Mehrauli, NH 24, Ghaziabad.

2. That the total land admeasuring 54630 sq. m. was purchased by the builder i.e., M/s Mahagun Real Estate Pvt. Ltd. for the purpose of



building Mahagunpuram Residential Society. It is pertinent to highlight that in the said allotted land 7679.78 sq. m. (Master Green Area) was specifically saved to ensure greenery around the proposed project.

3. That the Master Green Area admeasuring 7679.78 sq. m. measures 14.06 % of the total project admeasuring 54630 sq. m. is also now developed and around 1680 trees have been planted and it is developed into a lush green belt.
4. That in the total allotted area (54630 sq. m.), 38767.22 sq. m. was approved for the purpose of building of the society. It is pertinent to mention that the total green belt currently available (free from all encroachments) in the project in the form of pocket A, B, C, D is 5285.77 sq. m.

Approved green pocket	Approved green area (Sq. M.)	Encroached green area (Sq. M.)	Area on which encroachment is removed	Currently available green area	Area with encroachment
A	2448.08	887.29	887.29	2448.08	0.00
B	1017.00	967.17	767.17	817.17	200.00
C	1915.00	-	-	1924.38	0.00
D	435.00	338.86	-	96.14	338.86
Total	5815.08	2193.32	1654.46	5285.77	538.86






5. The areas admeasuring 200 sq. m. and 338.86 sq. m. of Pocket B & D respectively is still not been converted into a green area due to following reasons:


a. In Pocket B, 200 sq. m. area is still under encroachment as a generator, electric cables, cable trench, electric meter room, required utility circulation room is present. The Respondent has already written letters dated 16.07.2022, 23.07.2022, 28.07.2022 and 05.08.2022 addressing the builder, asking them to shift the DG set to some other place. The copy of all the letters are collectively annexed as Annexure-A. Thereafter, pursuant to the same the builder has already sought approval from the Executive Engineer, Sub-Station Udyog Kunj, Ghaziabad. The copy of letter dated 06.08.2022 is hereby annexed as Annexure-B. Additionally, due to the ongoing monsoon season the shifting of all these electrical appliances is very dangerous and may cause severe harm. Thus, the Respondent is seeking 7 week time to rectify this issue with the help of electric substation.

b. In Pocket D, 338.86 sq. m. area is still under encroachment as there is a temple constructed by the Apartment Owners Association of the society and there are total 8000 residents in the society. When the residents shifted to the society, there were no temples present in the locality. It is matter of religious sentiment of people residing in the society as well as for a positive environment a place of worship is needed in the society and subsequently a temple was built at the behest of the Apartment Owners Association.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rana'.

- c. The temple is now an object of faith and religious belief. Any attempt to remove the temple may create a severe law and order concern. Removal of the temple could lead to hurting the religious sentiments of the residents and the public in general and has a requisite propensity to disturb public tranquility. Therefore, the removal of the temple is not feasible.
- d. Moreover, the Vice Chairman of Ghaziabad Development Authority is the District Magistrate of Ghaziabad and he was also occupied in closely monitoring of law and order during “**Kanwar Yatra**”. Subsequently, he was also occupied due to “**Har Ghar Tiranga Campaign**” during the Independence Week i.e., 11th -17th August.
6. That currently the total green area available is 5285.77 sq. m. (current available green area of Pockets A, B, C, D) which is 13.64% of the area wherein the society has been developed.
7. That it is respectfully submitted that environment and public health are one of the prime concerns of the Authority and it is working with utmost sincerity towards providing healthy environment to citizens in pursuance to the right to life as enshrined in Article 21 of the Constitution of India.
8. That it is submitted that the Authority is fully aware of its social responsibility and committed to the cause of preservation of environment and shall take all necessary measures for the implementation of any order that may be passed by this Hon’ble Tribunal in letter and spirit.
9. It is prayed that the response is taken on record and 7 week time be granted to convert the left over encroached area in Pocket B on account to reasons stated under Para 5.



**Ghaziabad Development Authority
Through**

**Yagyawalkya Singh & Divya Swamy
Advocate(s)
Office: A-131, Sector 46, Noida 7838848157
Yagyawalkyasingh@gmail.com**

Yagyawalkya Singh



BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
AT NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 139 OF 2019

IN THE MATTER OF

Mahagunpuram Apartment Owners Association

Versus

Ghaziabad Development Authority and Ors.

Respondent(s)

I, JANKI SHARAN MISRA, aged 50 years, presently posted as ASISTT ENGINEER, Ghaziabad Development Authority, presently at New Delhi, do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That I am authorized to represent GDA in the above-mentioned case and I am well conversant with the facts and circumstances of the case and as such competent to swear this affidavit in my official capacity.
2. That I have read and understood the contents of the present Affidavit and say that the contents are true and correct as per the official record available with my office and my belief.
3. That the contents of the Affidavit are drafted under my instructions, and I have understood the same.



[Signature]
DEPONENT

VERIFICATION:- Verified at _____ on _____ this day of _____, 2022 that the contents of the above affidavit are

true and correct to my knowledge and nothing is concealed therefrom.




DEPONENT



13 Date: 16/08/21
I, JANKI SHARAN MISHRA
S/o Assistant Engineer
R/o G.D.A. Ghaziabad (U.P.)
Identified by Through Shri.....

ATTESTED

Rajendra Pratap Chhibber
Advocate & Notary Public
Ghaziabad
Reg. No. 13489



भारत सरकार
Government of India

जानकी शरण मिश्र
Janki Sharan Misra
जन्म तिथि/DOB: _____
पुरुष/ MALE

Download Date: 14/10/2021

Issue Date: 29/06/2017

VID : _____

मेरा आधार, मेरी पहचान



[Handwritten Signature]

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता: _____

Address: _____

VID : _____

1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

[Handwritten Signature]



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक- 326 / प्रवर्तन जोन-4/2021-22

दिनांक 16-7-2022
अनुस्मारक पत्र

सेवा में,

1. श्री अमित जैन
डायरेक्टर
महागुन रियल एस्टेट प्रा0 लि0
ए-19, सैक्टर-63, नौएडा
गौतमबुद्ध नगर।
2. अध्यक्ष/महासचिव
महागुनपुरम अपार्टमेन्ट ऑनर्स एसोसिएशन,
एन0एच0-24, गाजियाबाद।

विषय:- एन0एच0-24 स्थित महागुनपुरम ग्रुप हाउसिंग में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन वाद सं0-139/2019 में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.07.2021/03.02.2021/ 25.03.2022 के अनुपालन में ग्रीन क्षेत्र में किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया प्राधिकरण के पूर्व प्रेषित पत्रांक- 656/प्रवर्तन जोन-4/2021-22 दिनांक 08.04.2022, 815/प्रवर्तन जोन-4/2021-22 दिनांक 05.05.2022 एवं पत्रांक- 64/प्रवर्तन जोन-4/2021-22 दिनांक 03.06.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके अन्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन वाद सं0-139/2019 में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.07.2021/03.02.2021 एवं 25.03.2022 की प्रति संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित की गयी थी कि महागुनपुरम ग्रुप हाउसिंग के स्वीकृत ग्रीन पॉकेट-ए0, बी0 एवं डी0 में अवशेष अतिक्रमण को निर्धारित अवधि में हटाना सुनिश्चित करे ताकि मा0 अधिकरण के आदेशों का पालन हो सके, लेकिन आप द्वारा ग्रीन-बी में स्थित जेनरेटर्स, मीटर रूम, कैंबिल ट्रेंच एवं इनके सर्कुलेशन एरिया में कृत अतिक्रमण/पी0सी0सी0 को अभी तक नहीं हटाया गया है। इस पत्र के माध्यम से आपको पुनः आदेशित किया जाता है कि ग्रीन-बी में स्थित उक्त जेनरेटर्स, मीटर रूम, कैंबिल ट्रेंच को एक सप्ताह में अन्यत्र शिफ्ट कर अतिक्रमण मुक्त करना सुनिश्चित करे। इसी प्रकार ग्रीन-डी में स्थित अतिक्रमण को भी समयान्तर्गत हटाना सुनिश्चित करे, ताकि मा0 न्यायालय के आदेशों का अनुपालन हो सके, अन्यथा की स्थिति में मा0 अधिकरण के आदेशों की अवहेलना होने का समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

पृ0सं0-326/प्रवर्तन जोन-4/2021-22
प्रतिलिपि :-

1. उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. सचिव महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
3. अपर सचिव महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
4. विशेषकार्याधिकारी नोडल प्रवर्तन, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद को सूचनार्थ।

प्रभारी प्रवर्तन जोन-4
दिनांक 16-7-2022

प्रभारी प्रवर्तन जोन-4
दिनांक 16-7-2022



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक- 370 / प्रवर्तन जोन-4 / 2021-22

दिनांक 23/7/22
अनुस्मारक पत्र

सेवा में,

1. श्री अमित जैन
डायरेक्टर
महागुन रियल एस्टेट प्रा0 लि0
ए-19, सैक्टर-63, नौएडा
गौतमबुद्ध नगर।
2. अध्यक्ष / महासचिव
महागुनपुरम अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन,
एन0एच0-24, गाजियाबाद।

विषय:- एन0एच0-24 स्थित महागुनपुरम ग्रुप हाउसिंग मे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन वाद सं0-139/2019 में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.07.2021/03.02.2021/ 25.03.2022 के अनुपालन में ग्रीन क्षेत्र में किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

कृपया प्राधिकरण के पूर्व प्रेषित पत्रांक- 326/प्रवर्तन जोन-4/2021-22 दिनांक 16.07.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। इसके अतिरिक्त पूर्व प्रेषित पत्रांक-656/प्रवर्तन जोन-4/2021-22 दिनांक 08.04.2022, पत्रांक-815/प्रवर्तन जोन-4/2021-22 दिनांक 05.05.2022 एवं पत्रांक- 64/प्रवर्तन जोन-4/2021-22 दिनांक 03.06.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके अन्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन वाद सं0-139/2019 में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.07.2021/03.02.2021 एवं 25.03.2022 की प्रति संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित की गयी थी कि महागुनपुरम ग्रुप हाउसिंग के स्वीकृत ग्रीन पॉकेट-ए0, बी0 एवं डी0 में अवशेष अतिक्रमण को निर्धारित अवधि में हटाना सुनिश्चित करे ताकि मा0 अधिकरण के आदेशो का पालन हो सके। दिनांक 15.07.2022 को मा0 अधिकरण द्वारा अवशेष अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में आदेश पारित किये गये है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा 15 दिन में अनुपालन आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेशित किया गया है, परन्तु आप द्वारा ग्रीन-बी मे स्थित जेनरेटर्स, मीटर रूम, आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेशित किया गया है, परन्तु आप द्वारा ग्रीन-बी मे स्थित जेनरेटर्स, मीटर रूम, कैबिल ट्रेच एवं इनके सर्कुलेशन एरिया मे कृत अतिक्रमण/पी0सी0सी0 को अभी तक नहीं हटाया गया है एवं स्थल पर स्थित जेनरेटर्स, मीटर रूम, कैबिल ट्रेच एवं इनके सर्कुलेशन एरिया को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में भी किसी भी प्रकार का कार्य स्थल पर परिलक्षित नहीं हो रहा है, जो अत्यन्त खेदजनक हैं। इस पत्र के माध्यम से आपको पुनः आदेशित किया जाता है कि ग्रीन-बी मे स्थित उक्त जेनरेटर्स, मीटर रूम, कैबिल ट्रेच को एक सप्ताह में अन्यत्र शिफ्ट कर अतिक्रमण मुक्त करना सुनिश्चित करे। इसी प्रकार ग्रीन-डी मे स्थित अतिक्रमण को भी समयान्तर्गत हटाना सुनिश्चित करे, ताकि मा0 न्यायालय के आदेशो का अनुपालन हो सके, अन्यथा की स्थिति में मा0 अधिकरण के आदेशो की अवहेलना होने का समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

370/17610
पू0सं0-...../प्रवर्तन जोन-4/2022

प्रतिलिपि :-

1. उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. सचिव महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
3. अपर सचिव महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
4. विशेषकार्याधिकारी नोडल प्रवर्तन, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद को सूचनार्थ।

प्रभारी प्रवर्तन जोन-4
दिनांक 23/7/22

प्रभारी प्रवर्तन जोन-4



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

346-

पत्रांक- 388 / प्रवर्तन जोन-4 / 2021-22

दिनांक 28/7/22

सेवा में,

अनुस्मारक पत्र

1. श्री अमित जैन

डायरेक्टर

महागुन रियल एस्टेट प्रा0 लि0

ए-19, सैक्टर-63, नौएडा

गौतमबुद्ध नगर।

2. अध्यक्ष / महासचिव

महागुनपुरम अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन,

एन0एच0-24, गाजियाबाद।

विषय:- एन0एच0-24 स्थित महागुनपुरम गुप हाउसिंग मे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन वाद सं0-139/2019 में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.07.2021/03.02.2021/ 25.03.2022 के अनुपालन में ग्रीन क्षेत्र में किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

कृपया प्राधिकरण के पूर्व प्रेषित पत्रांक- 326/प्रवर्तन जोन-4/2021-22 दिनांक 16.07.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। इसके अतिरिक्त पूर्व प्रेषित पत्रांक-656/प्रवर्तन जोन-4/2021-22 दिनांक 08.04.2022, पत्रांक-815/प्रवर्तन जोन-4/2021-22 दिनांक 05.05.2022 एवं पत्रांक- 64/प्रवर्तन जोन-4/2021-22 दिनांक 03.06.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके अन्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन वाद सं0-139/2019 में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.07.2021/03.02.2021, 25.03.2022 एवं 15.07.2022 की प्रति संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित की गयी थी कि महागुनपुरम गुप हाउसिंग के स्वीकृत ग्रीन पॉकेट-ए0, बी0 एवं डी0 में अवशेष अतिक्रमण को निर्धारित अवधि में हटाना सुनिश्चित करे ताकि मा0 अधिकरण के आदेशो का पालन हो सके। दिनांक 15.07.2022 को मा0 अधिकरण द्वारा अवशेष अतिक्रमण हटाकर अनुपालन आख्या 15 दिवस में प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेशित किया गया है, परन्तु आज दिनांक 28.07.2022 को निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आप द्वारा ग्रीन-बी मे स्थित जेनरेटर्स, मीटर रूम, केबिल ट्रेंच एवं इनके सर्कुलेशन एरिया मे कृत अतिक्रमण/पी0सी0सी0 को अभी तक नहीं हटाया गया है एवं स्थल पर स्थित जेनरेटर्स, मीटर रूम, केबिल ट्रेंच एवं इनके सर्कुलेशन एरिया को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में भी किसी भी प्रकार का कार्य स्थल पर किया जाना परिलक्षित नहीं हो रहा है, जो अत्यन्त खेदजनक हैं। इस पत्र के माध्यम से आपको पुनः आदेशित किया जाता है कि ग्रीन-बी मे स्थित उक्त जेनरेटर्स, मीटर रूम, कैबिल ट्रेंच को एक सप्ताह में अन्यत्र शिफ्ट कर अतिक्रमण मुक्त करना सुनिश्चित करे। इसी प्रकार ग्रीन-डी मे स्थित अतिक्रमण को भी समयान्तर्गत हटाना सुनिश्चित करे, ताकि मा0 न्यायालय के आदेशो का अनुपालन हो सके, अन्यथा की स्थिति में मा0 अधिकरण के आदेशो की अवहेलना होने का समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

पू0सं0-388(1/2022) / प्रवर्तन जोन-4 / 2022
प्रतिलिपि :-

दिनांक 28/7/22
प्रभारी प्रवर्तन जोन-4
०/८ ३.३.३.

1. उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. सचिव महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
3. अपर सचिव महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
4. विशेषकार्याधिकारी नोडल प्रवर्तन, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद को सूचनार्थ।

०१५३३
२९/७/२२

प्रभारी प्रवर्तन जोन-4

०/८ ३.३.३.



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक- 423

/प्रवर्तन जोन-4/2021-22

दिनांक

05/8/22

अनुस्मारक पत्र

सेवा में,

1. श्री अमित जैन

डायरेक्टर

महागुन रियल एस्टेट प्रा0 लि0

ए-19, सैक्टर-63, नौएडा

गौतमबुद्ध नगर।

2. अध्यक्ष/महासचिव

महागुनपुरम अपार्टमेन्ट ऑनर्स एसोसिएशन,

एन0एच0-24, गाजियाबाद।

विषय:- एन0एच0-24 स्थित महागुनपुरम ग्रुप हाउसिंग मे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन वाद सं0-139/2019 में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.07.2021/03.02.2021/ 25.03.2022 के अनुपालन में ग्रीन क्षेत्र में किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया प्राधिकरण के पूर्व प्रेषित पत्रांक- 326/प्रवर्तन जोन-4/2021-22 दिनांक 16.07.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। इसके अतिरिक्त पूर्व प्रेषित पत्रांक-656/प्रवर्तन जोन-4/2021-22 दिनांक 08.04.2022, पत्रांक-815/प्रवर्तन जोन-4/2021-22 दिनांक 05.05.2022 एवं पत्रांक- 64/प्रवर्तन जोन-4/2021-22 दिनांक 03.06.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके अन्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन वाद सं0-139/2019 में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.07.2021/03.02.2021, 25.03.2022 एवं 15.07.2022 की प्रति संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित की गयी थी कि महागुनपुरम ग्रुप हाउसिंग के स्वीकृत ग्रीन पॉकेट-ए0, बी0 एवं डी0 में अवशेष अतिक्रमण को निर्धारित अवधि में हटाना सुनिश्चित करे ताकि मा0 अधिकरण के आदेशों का पालन हो सके। दिनांक 15.07.2022 को मा0 अधिकरण द्वारा अवशेष अतिक्रमण हटाकर अनुपालन आख्या 15 दिवस में प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेशित किया गया है, परन्तु आज दिनांक 28.07.2022 को निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आप द्वारा ग्रीन-बी मे स्थित जेनरेटर्स, मीटर रूम, केबिल ट्रेंच एवं इनके सर्कुलेशन एरिया मे कृत अतिक्रमण/पी0सी0सी0 को अभी तक नहीं हटाया गया है एवं स्थल पर स्थित जेनरेटर्स, मीटर रूम, केबिल ट्रेंच एवं इनके सर्कुलेशन एरिया को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में भी किसी भी प्रकार का कार्य स्थल पर किया जाना परिलक्षित नहीं हो रहा है, जो अत्यन्त खेदजनक है। इस पत्र के माध्यम से आपको पुनः आदेशित किया जाता है कि ग्रीन-बी मे स्थित उक्त जेनरेटर्स, मीटर रूम, कैबिल ट्रेंच को एक सप्ताह में अन्यत्र शिफ्ट कर अतिक्रमण मुक्त करना सुनिश्चित करे। इसी प्रकार ग्रीन-डी मे स्थित अतिक्रमण को भी समयान्तर्गत हटाना सुनिश्चित करे, ताकि मा0 न्यायालय के आदेशों का अनुपालन हो सके, अन्यथा की स्थिति में मा0 अधिकरण के आदेशों की अवहेलना होने का समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

पू0सं0-423(1704)/प्रवर्तन जोन-4/2022
प्रतिलिपि :-

1. उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. सचिव महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
3. अपर सचिव महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
4. विशेषकार्याधिकारी नोडल प्रवर्तन, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद को सूचनार्थ।
5. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-नवम, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, 33/11, के0वी0 सब स्टेशन, उद्योग कुंज, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि एन0एच0-24 स्थित महागुनपुरम ग्रुप हाउसिंग में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उपरोक्त आदेशों के क्रम में स्वीकृत ग्रीन में स्थित मीटर रूम को हटाये जाने के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही अपने स्तर से किये जाने हेतु।

प्रभारी प्रवर्तन जोन-4

दिनांक...05/8/22

dl

प्रभारी प्रवर्तन जोन-4

423/22
6/8/22

dl

Dated: 06-08-2022

To,

The Executive Engineer, EDD - 9

33/11 KV Electric Sub Station Udyog Kunj, Ghaziabad

Subject: Request for Shifting of HT Meter Room, 33 kV at MAHAGUNPURAM, MAHAGUN REAL ESTATE PVT LTD, Khasra No 839,840,841,853,854,855,1037,1038 & 1039, Mehrauli, NH-24, Ghaziabad

Dear Sir,

We wish to bring to your kind attention that we have Permanent 33 kV Electrical Connection for our Group Housing Project with following details:

Name of Project & Address : M/s Mahagun Real Estate Private Limited, Khasra No 839,840,841,853,854,855,1037,1038 & 1039, Mehrauli, NH-24, Ghaziabad

K. No: 343895662

A/C No: 0591986000

We wish to bring to your kind attention, the PUVNL - 33 kV HT Meter installed at our premises is coming into the Green Zone on our above Project in subject and as per GDA we have to shift at alternate location

We have identified the alternate HT Meter Room location, with direct entry from road on the front boundary wall. Attached is the plan indicating the proposed new HT Meter Room location.

We request you to kindly approve the proposed HT Meter Room location and shift the HT Meter at the new location.

We shall be very thankful to you to consider our request.

Thanking You

Yours Faithfully

Authorized Signatory



FOR MAHAGUN REAL ESTATE PRIVATE LIMITED



06/08/22

Enclosure: (i) GDA letter to shift HT Meter Room from Green Zone (ii) Site Plan indicating Old & New proposed Meter Room